

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

आर० एम० वाद संख्या :- 21/2012-13

गोबरा महेता वोट बनाम हन्दर महेता

धारा 46, छोटानागपूर कास्ताकारी अधिनियम

22/5/12
 आवेदक/आवेदिका ① गोबरा महेता पिता स्व० गोहित महेता
 ② गणेश चला देवी पति स्व० गणेश महेता
 ③ सन्तोष कुमार महेता पिता/पति स्व० दुर्लभ महेता
 ④ नील पदम महेता पिता स्व० रवि महेता
 ग्राम:- तादला थाना:- तमाड़ अनुमण्डल बुण्डू

जिला:-राँची ने आवेदन देकर सूचित किया है कि वे अपनी निम्नलिखित, खतियानी जमीन विपक्षी हन्दर महेता पिता/पति स्व० राखाल महेता ग्राम:- तादला थाना:- तमाड़ अनुमण्डल बुण्डू, जिला:-राँची को विक्रय करना चाहते हैं।

जमीन का विवरण

ग्राम	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	चौहददी
तादला	211	51	467	- 0.01 1/2	
			468	- 0.04 1/2	
			कुल	रकबा 0.06 1/2	

आवेदक ने अनुरोध किया है कि उपरोक्त जमीन छोटानागपूर कास्तकारी अधिनियम की धारा-46 के तहत विक्रय करने की स्वीकृति दी जाए। आवेदन पंजीकृत करेंगे। अंचल अधिकारी, बुण्डू को विहित प्रपत्र में जाँच प्रतिवेदन मांगे।

अभिलेख दिनांक:- 21/6/12 को उपरिथत करें।

लेखापित एवं संशोधित

22/5/12
 भूमि सुधार उप समाहर्ता,
 बुण्डू, राँची।

22/5/12
 भूमि सुधार उप समाहर्ता,
 बुण्डू, राँची।

28-6-12

अमिलेश्वर उपस्थापित। जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन अप्राप्त। अगली तिथि 14-7-12 निर्धारित की जाती है।

28/6/12

14-7-12

अमिलेश्वर उपस्थापित। जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। अमिलेश्वर के साथ सैलमन करें। विक्रेता के बयान के लिए अमिलेश्वर दिनांक 30-7-12 को करें।

14/7/12

30-7-12

अमिलेश्वर उपस्थापित। विक्रेता का बयान दही लिया गया। पिट कर सुनाया गया। जब विक्रेताओं से अंगूठे का निशान एवं हस्ताक्षर लिया गया। अमिलेश्वर का दस्तावेज दिनांक 11/8/12 को उपस्थापित।

30/7/12

11/8/12

अमिलेश्वर उपस्थापित। अचल अधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के बयान के आधार पर डी. आ. अधिनियम को धारा 46 के तहत विक्रेता को मुक्ति प्रदान करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

11/8/12